

7163  
16/11/13



अनुच्छेद-17 फारम संख्या-562।

# न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर, दरभंगा आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत  
संदर्भित वाद संख्या- 543 / 2013-14

नाम शिवशंकर प्रसाह बनाम मधेश प्रसाह कौरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित														
27/11/13	<p>श्री/श्रीमति शिवशंकर प्रसाह पिता/पति- स्कं देवी लाल प्रसाह  ग्राम कटहलवाड़ी पो0- लालबाग  थाना- मिथिला विश्वविद्यालय अंचल-  जिला- दरभंगा के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से  श्री मधेश प्रसाह पिता स्कं देवी लाल प्रसाह  ग्राम- कटहलवाड़ी पो0- लालबाग  थाना- मिथिला विश्वविद्यालय अंचल  जिला- दरभंगा के विरुद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत वाद-पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें विवाद के अन्तर्गत निम्न ब्योरे की भूमि है:-</p> <table border="1" data-bbox="267 1097 1282 1299"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कटहलवाड़ी</td> <td>49</td> <td>6743</td> <td rowspan="3">डेढ़ धुर</td> </tr> <tr> <td>कटहलवाड़ी</td> <td></td> <td>6744</td> </tr> <tr> <td>कटहलवाड़ी</td> <td></td> <td>6758</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक के वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों तथा विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् वाद-पत्र को प्रतिग्रहित किया जाता है।  विपक्षी को सूचना निर्गत करें, वे निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उचित पक्ष प्रस्तुत करें।  अभिलेख दिनांक 13/12/13 को रखें।  भैरवापति एवं शुद्धित</p>	मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	कटहलवाड़ी	49	6743	डेढ़ धुर	कटहलवाड़ी		6744	कटहलवाड़ी		6758	Disposed
मौजा	खाता	खेसरा	रकवा													
कटहलवाड़ी	49	6743	डेढ़ धुर													
कटहलवाड़ी		6744														
कटहलवाड़ी		6758														
भू0 सु0 उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।	 27/11/13	 27/11/13 भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।														

13.12.13


उभयपक्ष- अनु०

पुनःश्च -

उभयपक्ष की हाजिरी हैं।

उभयपक्ष की ओर से संवि पत्र वकालतनामा के साथ प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष के निरु अखिलमंत्रा का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है इसलिए खाद की कार्टवार्ड को समाप्त करा दिया जाय।

उभयपक्ष से निरु अखिलमंत्रा द्वारा प्रस्तुत संवि-पत्र के आलावृ में खाद की कार्टवार्ड को समाप्त किया जाता है संवि पत्र ही जय-पत्र का अंग होगा।

  
13/12/13  
श्री ७५५॥ ३५ - (समाहर्ता)  
सद. वरंगल।